



राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> बनवारी लाल बनाम भौरी देवी </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</div>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>16/03/2026</p> <p>18/03/2026</p>	<div style="margin-bottom: 10px;"> <p>900 2023</p> </div> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/03/2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center; color: blue;">  राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर </p> <p>आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01/11/2022 पारित करते हुये मूल वाद के निर्णय तक विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ यह अपील प्रस्तुत की गयी जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।</p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार प्रकरण नहीं है, ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी है परन्तु अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस अथवा प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी में यह कही स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नाधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद में पक्षकार बनाया गया है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलार्थी संधारणीय नहीं रहने से खारिज की जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center; color: blue;">  राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर </p>	

